उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-१६८ वा | शनिवार १८ जनवरी २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रुपये | पन्ने - ४

मिलियन पाउंड्स केस में इमरान खान को १४ साल की सज़ा

बुशरा बीबी को ७ साल की जेल। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया।

रावलपिंडी (एजेंसी)

रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने १९० मिलियन पाउंड रेफरेंस (कादर ट्रस्ट केस) में इमरान खान को १४ साल और बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई है। जज ने कहा कि पार्टी के नेता उमर अयूब ने फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है।

पाकिस्तान टीवी विज़न के अनुसार, इमरान खान को कैद के साथ दस लाख रुपये का जुर्माना और बुशरा बीबी को पाँच लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। अदालत ने कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को सरकारी कब्जे में लेने का आदेश दिया है।

जज नासिर जावेद राणा ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की अर्जी को खारिज किया गया। अदालत ने मामले को निपटाने के लिए बचाव पक्ष की सभी पेशियों को समेट लिया। फैसले के मुताबिक, इमरान खान को छह महीने और बुशरा बीबी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद हो सकती है। यह केस बेहद अहम था और फैसले से पहले इमरान खान को उनके घर से अदालत लाया गया। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पहले ही अदियाला जेल ले जाया गया था।

बुशरा बीबी को अदालत से गिरफ्तारी

अदालत ने कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन सरकारी कब्जे में लेने का आदेश दिया। जज नासिर जावेद राणा ने सजा सुनाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया।

एहम केस की सुनवाई से पहले PTI के संस्थापक इमरान खान को जेल से अदालत लाया गया, जहां उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी अदालत में उपस्थित थीं। सुनवाई के दौरान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (छ-इ) की प्रॉसिक्यूशन टीम के तीन सदस्य - अरफान अहमद, सुहेल आरिफ और ओवैस अरशद - भी अदालत में पहुंचे। बुशरा बीबी और उनकी बेटी व दामाद के वकील सलमान अकबर राजा भी मौजूद थे।

सुनवाई के बाद बुशरा बीबी को अदालत में ही गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर मीडिया के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। जेल के बाहर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा कमांडोज ने जेल के बाहर और आसपास का पूरा हिस्सा संभाल रखा था। अदालत से जेल तक ले जाते समय भी बुशरा बीबी को भारी सुरक्षा प्रदान की गई।

शिव भोज थाली योजना के लिए ५० करोड़ का फंड

यह योजना एमवीए सरकार ने शुरू की थी।

मुंबई, १७ जनवरी (अज़ीज़ अजाज़) - शिव भोज थाली योजना, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को सिर्फ १० रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया था, के लिए महायुति सरकार ने दिसंबर २०२४ से मार्च २०२५ की अवधि के लिए ५०.८२ करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए १२ लाख रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है।

योजना के लिए फंड आवंटन से संबंधित जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सरकारी आदेश (ऋ्ठ) में दी गई है। वित्तीय वर्ष २०२४-२५ के लिए इस योजना के लिए २६७.४८ करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी गई है। अप्रैल २०२४ से नवंबर २०२४ के लिए १४९.७८ करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। अब दिसंबर २०२४ से मार्च २०२५ के लिए ५०.८२ करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

यह राशि जिला आपूर्ति अधिकारी और उप-नियंत्रक (राशन वितरण) के कार्यालयों के माध्यम से वितरित की जाएगी। सरकारी निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि यह सब्सिडी केवल इस योजना के लिए खर्च की जाएगी और इस राशि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

जून २०२२ में महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी महायुति सरकार से इस योजना को बंद करने की मांग की गई थी। हालांकि, उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि यह योजना बंद नहीं की जाएगी। हालांकि, यह कहा गया था कि योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा।

जब शिव भोज थाली योजना शुरू की गई थी, तो इसकी कीमत १० रुपये थी, जिसे कोरोना काल में घटाकर ५ रुपये कर दिया गया और कुछ समय बाद यह थाली मुफ्त में उपलब्ध कराई गई। कोरोना काल समाप्त होने के बाद थाली की कीमत फिर से १० रुपये कर दी गई। शिव भोज थाली की वास्तविक लागत शहरी क्षेत्रों में ५० रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में ३५ रुपये थी। इसमें ग्राहकों को १० रुपये का भुगतान करना होता था, जबकि बाकी राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती थी।

सैफ अली खान पर हमला मामला: एक संदिग्ध पुलिस हिरासत में, पूछताछ जारी

मुंबई, १७ जनवरी (अज़ीज़ अजाज़) - बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और आगे की जांच के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है।

आज सुबह मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्होंने सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी से निकाले गए चाकू के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया है, जबकि बाकी हिस्से की तलाश जारी है।

मुंबई पुलिस ने यह भी कहा कि सैफ अली खान पर हमले में शामिल आरोपी को आखिरी बार बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था और उसकी तलाश जारी है। पुलिस को शक है कि घटना के बाद संदिग्ध ने सुबह की पहली लोकल ट्रेन पकड़ी और वसई-विरार की ओर भाग गया। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस की टीम वसई, नालासोपारा और विरार के क्षेत्रों में उसकी खोज कर रही है।

गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बीती रात करीब २:३० बजे उनके बांद्रा स्थित फ्लैट की ११वीं मंजिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने चाकू से हमला किया था। यह घटना उस समय हुई जब कथित तौर पर अभिनेता की नौकरानी ने घर में घुसे उस व्यक्ति को उनकी रिहाइश में देखा। सैफ ने हस्तक्षेप करने और स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह एक हिंसक झगड़े में बदल गया, जिसमें अभिनेता को चाकू से कई घाव हुए।

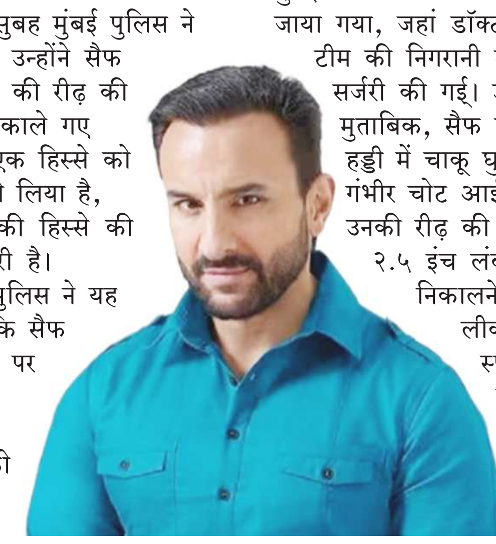

हमले के बाद सैफ को तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में उनकी सर्जरी की गई। डॉक्टरों के मुताबिक, सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू घुसने से गंभीर चोट आई है, और उनकी रीढ़ की हड्डी से २.५ इंच लंबा चाकू निकालने और लीक हो रहे स्पाइनल फ्लूड की मरम्मत के लिए सर्जरी की गई।

हालांकि सैफ की हालत खतरे से बाहर है, डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। सर्जरी के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां वे इस समय ठीक हो रहे हैं।मुंबई पुलिस ने अभिनेता पर हमले के सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली है और शिकायतकर्ता (सैफ की नौकरानी) का बयान दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हमलावर ने परिवार से एक करोड़ रुपये की मांग की थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, घुसपैठिए ने नौकरानी पर कथित तौर पर हेक्सा ब्लेड से हमला किया। दर्ज बयान में नौकरानी ने बताया कि यह घटना १६ जनवरी की रात करीब २ बजे हुई।

४० घंटे बाद भी सैफ अली खान पर हमले की वजह और हमलावर का पता अज्ञात!

कारपेंटर और कर्मचारियों से पूछताछ जारी

जमीर काजी, मुंबई:

अभिनेता सैफ अली खान पर गंभीर चाकू हमले की घटना को ४० घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुंबई पुलिस को न तो हमले की वजह पता चली है और न ही हमलावर का कोई सुराग मिला है। इस मामले में पुलिस ने उनके घर के कर्मचारियों और बिल्डिंग में काम कर रहे कारपेंटर से गहन पूछताछ की है, लेकिन उनसे अपेक्षित जानकारी नहीं मिल सकी है।

इस बीच, लीलावती अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, सैफ अली खान की हालत स्थिर है और उन्हें शनिवार या रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

गुरुवार तड़के ३ बजे की घटना:

गुरुवार को तड़के ३ बजे सैफ अली खान के बांद्रा पश्चिम स्थित सद्गुरु सदन बिल्डिंग के १२वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में एक हमलावर ने धारदार चाकू से उन पर ६ वार किए। इससे पहले हमलावर की सैफ की बच्चों की आया लिया से झड़प हुई थी।

हमले के बाद, सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ एक ऑटो-रिक्शा में लीलावती अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी कर उनकी रीढ़ की हड्डी में फंसे २.५ सेंटीमीटर लंबे चाकू के टुकड़े को निकाला।

इस घटना ने बॉलीवुड और राजनीतिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। हमलावर की तलाश के लिए मुंबई पुलिस ने ३० विशेष टीमें बनाई हैं। सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए जांच जारी है। हालांकि, घटना के ४० घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है और न ही हमलावर को गिरफ्तार किया जा सका है।

हमलावर ने कैसे किया प्रवेश?

पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक जांच में कहा है कि हमलावर चोरी के इरादे से घर में घुसा था। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर वह फ्लैट तक कैसे पहुंचा, इसका पता अब तक नहीं चल सका है।

पुलिस को बिल्डिंग में हमलावर के प्रवेश और निकलने की सीसीटीवी फुटेज मिली है। फुटेज के मुताबिक, रात १:३७ बजे उसने बिल्डिंग में प्रवेश किया और २:३३ बजे बाहर निकला।

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ५५ मिनट के इस अंतराल में फ्लैट में क्या हुआ। फ्लैट में मौजूद दो आया और तीन कर्मचारियों से गहन पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा, फ्लैट में पॉलिश का काम कर रहे कारपेंटर को भी गुरुवार सुबह से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

अस्पताल से मिली जानकारी:

इस बीच, लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सैफ अली खान की हालत अब ठीक है। हमलावर ने सैफ की पीठ पर वार किया था, जिसमें धारदार चाकू का एक टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस गया था।

डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के दौरान चाकू का २.५ इंच लंबा टुकड़ा निकाला गया। सैफ की रीढ़ की हड्डी से फ्लूड लीक हो रहा था, जिससे लकवे का खतरा था। डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी कर स्थिति को संभाला। सर्जरी करीब ढाई घंटे तक चली।

अस्पताल के सर्जन डॉ. नितिन एन. डांगे ने कहा कि चाकू का टुकड़ा गहराई तक फंसा हुआ था, जिससे तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना थी। हालांकि, अब सैफ पूरी तरह से होश में हैं और पंगु होने का खतरा भी टल गया है। लीलावती अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) डॉ. नीरज उत्मानी ने कहा कि सैफ अली खान को अब आईसीयू से एक विशेष कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अगले एक या दो दिनों तक उनकी निगरानी की जाएगी। उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है।

'वॉयस ऑफ मीडिया' के देशव्यापी आंदोलन को बड़ी सफलता

पत्रकार चंद्राकर के हत्यारे गिरफ्तार, १० लाख की सहायता, पत्रकार भवन बनेगा

गृहमंत्री अमित शाह से मिला पत्रकारों का शिष्टमंडल

दिल्ली (प्रतिनिधि):

छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने के लिए वॉयस ऑफ मीडिया' द्वारा चलाए गए देशव्यापी आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही, उनके परिवार को १० लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और उनके नाम पर एक पत्रकार भवन बनाने की घोषणा की गई है।

वॉयस ऑफ मीडिया' के संस्थापक अध्यक्ष संदीप काले ने कहा कि पत्रकारों के अधिकारों और न्याय के लिए यह संगठन हमेशा सक्रिय रहेगा। आने वाले समय में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

देशभर में आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय समर्थन:

मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने के लिए वॉयस ऑफ मीडिया' के विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों ने अपने-अपने राज्यों में आंदोलन चलाया। इन नेताओं में कुलदीप सोनी (दिल्ली), बंसीलाल पांचाल (हरियाणा), पर्वतकुमार मिश्रा (ओडिशा), अक्षित महाजन (जम्मू-कश्मीर), प्रेम पाठक (उत्तर प्रदेश), आनंदकुमार रजनली (कर्नाटक), शब्बीर आलम (बिहार), जतिंदर पाल (पंजाब), जिग्नेश जोशी (गुजरात), स्वप्ना दत्ता (असम), सुमन गांगुली (पश्चिम बंगाल), गणेश रवी (झारखंड) और अन्य राज्यों के नेता शामिल थे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रकारों ने इस घटना की निंदा की। वॉयस ऑफ मीडिया' के जिम्बाब्वे, इथियोपिया, बांग्लादेश, केन्या, अफगानिस्तान, नेपाल, मोरक्को, नीदरलैंड, म्यांमार और फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों ने चंद्राकर की हत्या की कड़ी निंदा की और न्याय की मांग की।

छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा:

वॉयस ऑफ मीडिया' के आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार चंद्राकर के परिवार को १० लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और उनके नाम पर एक पत्रकार भवन बनाने की घोषणा की।

गृहमंत्री से मुलाकात:

वॉयस ऑफ मीडिया' के शिष्टमंडल ने भारत के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर देश में पत्रकारों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की।

यह सफलता वॉयस ऑफ मीडिया' की एक बड़ी उपलब्धि है और यह संगठन पत्रकारों के अधिकारों और न्याय के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा।

६०० रुपये प्रति ब्रास रेत नीति में बदलाव होगा

सभी ठेकों पर रोक, अवैध रेत की कीमत सोने के बराबर

बीडः (संवादाता)

पिछली सरकार के कार्यकाल में बड़े प्रचार के साथ राज्य की रेत नीति बदली गई थी। आम लोगों को ६०० रुपये प्रति ब्रास रेत देने की घोषणा की गई थी। इसका वास्तविक लाभ कितने लोगों को मिला, यह अभी भी पहेली बना हुआ है। अब फडणवीस सरकार इस नीति को बदलने जा रही है। राज्य में रेत नीति में बदलाव की बात कहते हुए राज्यभर की रेत घाटियों के ठेकों पर रोक लगा दी गई है। इस कारण अवैध रेत की कीमत आसमान छू रही है। एक हाइवा रेत के लिए लगभग ५०,००० रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

पिछली सरकार के दौरान राज्य की रेत नीति में बदलाव किया गया था। इसके तहत सरकार ने रेत डिपो के लिए ठेके देने और ग्राहकों को ६०० रुपये प्रति ब्रास रेत देने का निर्णय लिया था। लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई समस्याएं आईं, जिससे बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिला। अब जाकर यह नीति सही रूप में लागू हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने रेत नीति में बदलाव का निर्णय लिया है, जिससे राज्य की रेत घाटियों के सभी ठेकों पर रोक लगाई गई है। बीड जिले में भी १० रेत घाटियों के लिए निकाली गई निविदाओं पर रोक लगाई गई है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है।

राज्यभर में अधिकृत रेत की तुलना में अवैध रेत का उपयोग ज्यादा होता है। पिछले समय में कई स्थानों पर रेत तस्करी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके कारण अवैध रेत की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पहले से संग्रहित रेत अब बाजार में सोने की कीमतों पर बेची जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार से जनता की मांग है कि जो भी निर्णय लेना हो, जल्दी लिया जाए और रेत घाटियों को फिर से शुरू किया जाए।

पुलिस ने कुख्यात डकैतों और सर्राफा व्यापारी को किया गिरफ्तार

परली (संवादाता):

रेलवे मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर सिग्नल बंद कर रेलगाड़ी में घुसकर डकैती की घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराधियों को परली रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीन कुख्यात डकैतों के साथ भूमि (धाराशिव) के एक सर्राफा व्यापारी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।

अक्टूबर और नवंबर २०२४ के दौरान परली रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र में दो डकैतियों और कुछ चोरी की घटनाएं हुई थीं। साथ ही, नांदेड़ रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटना घटी थी। इन घटनाओं में अपराधी सिग्नल तोड़कर (सिग्नल टेंपरिंग) रेलगाड़ी रोकने के बाद डिब्बों में घुसकर यात्रियों से लूटपाट करते थे। इन अपराधों में केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। आरोपी लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे थे, जिससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना चुनौती बन गया था। रेलवे पुलिस अधीक्षक स्वाति भोर और पुलिस उपअधीक्षक संजय लोहकरे के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई थी। इस टीम ने सफलता हासिल करते हुए अविनाश उर्फ ड्रीम काले, सतीश उर्फ रवि भोसले, अजीत सांगले और भूमि के सर्राफा व्यापारी दिगंबर चंद्रकांत धर्माधिकारी को गिरफ्तार किया है।

डिजिटल साक्षरता से भारत की प्रगति करें-तहसीलदार तरंगे

घाटनांदुरः संवादाता

तहसीलदार विलास तरंगे ने युवाओं से डिजिटल साक्षरता अपनाकर भारत की प्रगति में योगदान देने की अपील की है। यह संदेश उन्होंने वसुंधरा महाविद्यालय और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के संयुक्त आयोजन में दिया।

देशमुख हत्याकांड में आरोपियों की संख्या बढ़ेगी-सांसद बजरंग सोनवणे

बीड़, १५ जनवरी (संवाददाता):

मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस दौरान, कई अहम सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार किसकी थी? हत्यारों को रहने के लिए घर किसने दिया? ये सभी बातें जांच में स्पष्ट हो जाएंगी।

इसके अलावा, फिरौती से जुड़े जो आरोपी थे, वे किसके घर में ठहरे थे? उन्हें गाड़ियां किसने उपलब्ध कराईं? यह सब सामने आएगा और उन पर भी कार्रवाई होगी।

इतना ही नहीं, इस संगठित अपराध मामले में आरोपियों की संख्या ५० तक पहुंच सकती है, ऐसा दावा सांसद बजरंग सोनवणे ने मीडिया से बातचीत में किया।

वाल्मिक कराड की पत्नी के आरोपों पर जवाब

वाल्मिक कराड, जो संतोष देशमुख हत्याकांड में आरोपी हैं, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि सांसद बजरंग सोनवणे ने लोकसभा चुनाव के बाद कराड को जान से मारने की धमकी दी थी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद बजरंग सोनवणे ने कहा:

मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को धमकी नहीं दी। बल्कि, लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान मीडिया में यह झूठी खबरें फैलाई गईं कि मुझे धमकाया गया था। कुछ लोगों ने इस बहाने अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की। लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मैंने कराड को धमकी दी थी, तो उनकी पत्नी ने उसी समय इस बात को क्यों नहीं बताया? अब छह महीने बाद वे मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। इस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा।

अनसुलझे सवाल जिनका जवाब मिलना जरूरी

सांसद सोनवणे ने जोर देते हुए कहा कि अब भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं:

संतोष देशमुख के अपहरण में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार किसकी थी?

हत्यारों को पनाह किसने दी?

उन्होंने कहा कि जांच में ये सभी तथ्य सामने आएंगे। इसके अलावा, फिरौती से जुड़े अन्य आरोपियों की भी पहचान होनी चाहिए, और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाना चाहिए।

मकोका लगाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

सांसद सोनवणे ने आगे कहा:

परली के बाहर का मामला बहुत बड़ा है, और केज में गुंडागर्दी लाने की कोशिश की जा रही है। हम मांग करते हैं कि सभी आरोपियों पर मकोका (MCOC-) लगाया जाए। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए।

विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की मांग

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर एडवोकेट उज्ज्वल निकम इस केस को नहीं ले सकते, तो वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि वे इस मामले की सुनवाई को देख सकें।

जूनियर महाराष्ट्र श्री २०२५ राज्यस्तरीय बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता

बीड संवाददाता

आईबीबीएफ महाराष्ट्र बॉडीबिल्डिंग एसोसिएशन, मुंबई की मान्यता से, न्यू कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट बॉडीबिल्डिंग एसोसिएशन और आदित्य भोसले युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में जूनियर महाराष्ट्र श्री २०२५ (मास्टर्स/दिव्यांग) प्रतियोगिता का आयोजन रविवार, २६ जनवरी २०२५ को राजारामपुरी लेन नं. ५, बस रूट, कोल्हापुर में किया गया है।

इस प्रतियोगिता के लिए बीड जिला जूनियर, मास्टर्स, दिव्यांग बॉडीबिल्डिंग ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन रविवार, १९ जनवरी को शाम ६:३० बजे मराठवाड़ा बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन और बीड जिला एसोसिएशन द्वारा लाईफ हेल्थ क्लब, लाईफस्टाइल जिम, महात्मा फुले शॉपिंग सेंटर, नई भाजी मंडई, बीड में किया गया है।

जिले के इच्छुक प्रतिभागियों से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील मराठवाड़ा बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक विजयसिंह पंडित (राजे), जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. योगेश भैया क्षीरसागर, एडवोकेट शेख शफीक भाई, श्री अविनाश नाइकवाडे, श्री विक्रांत हजारे, संगठन के सचिव डॉ. सय्यद अरशियानउल्लाह, गोरख कैवाडे सर, डॉ. सय्यद मसीह, सय्यद सिराज सर (परली), और सय्यद अमान उल्लाह ने की है।

परळी - नियमानुसार परळी पहुंचने के बाद आज राज्य के अन्न, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे ने परळी में अपने कार्यालय जगमित्र में बैठकर मतदाता संघटन और मतदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने नागरिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन और कार्यवाही के लिए निर्देश दिए।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharash-tra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com